न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण संख्या : 8/2016

बउनवानः—

1. ताराचंद पुत्र
2. बिहारीलाल पुत्र
3. भैरूलाल पुत्र
4. खेमचन्द पुत्र

रामकिशन

5. रमाशंकर पुत्र
6. योगेश पुत्र
7. संजू बाई पुत्री
8. सूरज्या बाई बेवा

लक्ष्मीनारायण

जाति माली निवासीगण मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. भैरूसिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. राजेन्द्र सिंह
4. संतोष बाई
5. राधा बाई

पिसरान गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बमूलिया कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा

6. गुड्डी बाई पुत्री
7. गोपाल कंवर पुत्री

मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी हाल बमूलिया कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा

8. नाथूसिंह पुत्र
9. रणजीत सिंह पुत्र
10. अवतार सिंह पुत्र
11. कजोडी बाई पुत्री
12. सूरज बाई बेवा

गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बमूलिया कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री कर्मवीर शर्मा, महेन्द्र सिंह हाडा

वकील अप्रार्थीगण : श्री अमित गौड कम 1 ता 5

दायरा दिनांकः 03.03.2016

निर्णय दिनांक : 07.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 12 के खाते व कब्जे काश्त की संयुक्त खाता आराजी खसरा नं0 4568 रकबा 5.14 है0 वाके ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 सहखातेदार दर्ज राजस्व रेकार्ड है। मुताबिक आपसी

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

मेंट प्रार्थीगण सम्पूर्ण खाता आराजी के दक्षिणी 1/2 हिस्से पर मुताबिक बेचान तहरीर दिनांक 16.05.1945 के अनुसार काबिज काश्त रहे है। औ प्रार्थीगण अपनी हिस्सा आराजी को स्वयं काश्त करते है। कभी पारिवारिक परिस्थितियों अनुसार मुनाफा काश्त पर देते है जिस पर आज तक कभी भी अप्रार्थीगण का ऐतराज नही रहा है। मृतक खातेदारान के अप्रार्थीगण वारिसान अब प्रार्थीगण की हिस्सा आराजी में पानी पिलाई कर्ता और मेढबंदी को लेकर नाजायज परेशान करने लग गये है। झगडे फसाद करने लग गये है। आयेदिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने का प्रयास करते है। खाते में सब टीनेन्ट शब्द लिखा होने से अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी हिस्सा आराजी से बेदखल करने के प्रयास में है। जबकि प्रार्थीगण के मृतक पिता रामकिशन द्वारा कीमतन 3000 रू0 दिनांक 16.05.1945 को तत्कालीन खातेदार गोविन्द सिंह गणपत सिंह पुत्रान देवीसिंह जाति राव निवासीगण मांगरोल से बेचान नामा रूबरू गवाहान तहरीर कर काबिज व दाखिल करवाया था बेचान दक्षिणी हिस्से का किया था। तब से प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐ इस प्रकार है। पूरब में–खेत ग्यारसीराम माली, पटेल पन्नालाल माली, पश्चिम में–खेत आत्माराम बैरागी, उत्तर में–खेत गोविन्द सिंह गणपत सिंह, दक्षिण में–काकड मांगरोल इसी बेचान नामे अनुसार प्रार्थीगण की हिस्सा आराजी राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज की गयी। प्रार्थीगण अपनी हिस्सा आराजी का खाता विभाजन, कर्ता पिलाई रास्ता धोरा नक्शा ट्रेस पृथक करवाने के कानूनी अधिकारी है। तथा वर्तमान राजस्व खाता संख्या 263 से प्रार्थीगण के नाम के साथ लिखा गया शब्द सब टिनेन्ट डिलिट करवाकर अपने आपको कृषक दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 263 की हिस्सा आराजी खसरा नं0 4568 रकबा 5.14 है0 1/2 दक्षिणी भूमि पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और नही अपने प्रतिनिधि से करावें मौका और रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर अप्रार्थी गण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तलब होने के पश्चात अप्रार्थीगण ने जर्ये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र व राजस्व रेकार्ड पेश किये जो शामिल मिशल है। जवाब प्रार्थना पत्र के कथनानुसार अप्रार्थीगणो का खातेदार होना स्वीकार है शेष मद पूर्णताया अस्वीकार है। क्योकि आराजी खसरा नं0 4568 रकबा 5.15 है0 जिसके साबिक खसरा नं0 2713 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम मांगरोल के रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण ही है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता रामकिशन पुत्र नाथू जाति माली निवासीगण मांगरोल का नाम दौराने सेटलमेंट त्रुटीवश बतौर सबटीनेन्ट दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण के मन में अप्रार्थीगण की जमीन हडपने की नियत से राजस्व कार्मिको से साठगाठ करने अवैध व अनुचित रूप से सबटीनेन्ट रामकिशन का फौती इन्तकाल खुलवा लिया तथा अप्रार्थीगण के खाते की आराजी को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का कोइ हिस्सा नही है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

ज भी अप्रार्थीगण उक्त आराजी को ही काश्त कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जाकर काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व ताफैशला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि खाता संख्या 263 खसरा नं0 4568 रकबा 5.14 है0 वाके ग्राम मांगरोल पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करवावें अप्रार्थीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थीपक्ष द्वारा काउण्टर क्लेम के परिप्रेक्ष्य में जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम ठोस तथ्यो पर आधारित नही है। क्योकि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के सब टीनेन्ट काश्तकार है और शांतीपूर्ण तरीके से काश्त कर रहे है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को बेदखल नही किया जा सकता अतः जवाब प्रार्थना पत्र व काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ओर से राजस्व रेकार्ड पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृटान्त पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उभयपक्ष का भी मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो कि उन्होने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में लिखा है। प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया है कि गणेश पांच्या के स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में सबटीनेन्ट के रूप में दर्ज किया गया है जिसका इन्द्राज सम्वत 2018 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता का नाम लगातार सम्वत 2018 से आज तक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में सबटीनेन्ट हिस्सा बराबर चलता आ रहा है। उनकी मृत्यु के बाद इन्तकला नं0 1870 दिनांक 26.11.2013 से प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के रेकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण अपना हिस्सा 1/2 दर्ज बता रहा है तथा उक्त से संबंधित वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तथा उक्त का निर्धारण भी मूल वाद में निर्णय पारित होने के पश्चात ही होगा।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी जवाब बहस में बताया कि खसरा नम्बर 4568 रकबा 5.14 है0 जिसके साबिक खसरा नं0 2713 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा जिसके रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण ही है। प्रार्थीगण के पिता रामकिशन पुत्र नाथू जाति माली दौराने सेटलमेंट त्रुटीवश बतौर जमीन हडपने की नियत से राजस्व कार्मिको से सांट–गाठ करने अवैध एवं अनुचित रूप से सबटीनेन्ट रामकिशन का फौती इन्तकाल खुलवा लिया। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का हिस्सा नही है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी में रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है। न्यायालय धारा 212 आरटीएक्ट की बहस सुन रहा है। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात व राजस्व रेकार्ड देखने के बाद न्यायालय के मद में अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

कार्डेड खातेदार है। स्वतंत्र मालिक व काबिज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 वास्ते चाहने अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner